☎ 2286710, 2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001
website-www.sudaup.org

पत्रांकः– 4962 /09/29/HFA-TPQM/2017-18 दिनांकः– 13 मार्च, 2018

सेवा मे,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक में केन्द्रांश की द्वितीय किश्त अवमुक्त करने से पूर्व निर्मित/निर्माणाधीन आवासों के सत्यापन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक में अधिकांश जनपदों में प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। कई स्थानों पर लाभार्थियों द्वारा छत स्तर तक कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त की जानी है, परन्तु भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग एजेन्सी (TPQMA) द्वारा कार्यों की गुणवत्ता की जाँच कराये जाने की अनिवार्यता है।

सूडा द्वारा TPQMA हेतु आर0एफ0पी0 प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः जब तक सूडा द्वारा TPQMA हेतु एजेन्सी का चयन नहीं किया जाता, तब तक जनपद स्तर पर अपने स्तर से तकनीकी समिति गठित कराकर लाभार्थी द्वारा निर्मित किये जा रहे आवासों की गुणवत्ता का सत्यापन कराकर केन्द्रांश की द्वितीय किश्त अवमुक्त की जाये।

भारत सरकार द्वारा जारी TPQMA की गाइड-लाइन के अनुसार स्वीकृत आवासों का 10 प्रतिशत या 50 आवास, जो भी अधिक हो, का सत्यापन किया जाना आवश्यक है तथा 50 आवासों से कम आवासों की परियोजना में आवासों का शत–प्रतिशत सत्यापन किया जायेगा।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी, डूडा, उत्तर प्रदेश।
3. सहा0 परियोजना अधिकारी/वेब मास्टर, सूडा, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

TPQM/2